



पत्रांक 1050/प0नि0का0/2017

दिनांक 02/04/2017

सेवा में,

1. केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य/कार्य0 प्राचार्य/प्रभारी, केन्द्राध्यक्ष दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के समस्त महाविद्यालय जिनके स्नातक तृतीय वर्ष एवं अन्य अर्ह छात्रों की परीक्षा दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर द्वारा करायी जा रही है।
2. समन्वयक, केन्द्रीय-सचल दल दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
3. समन्वयक, क्षेत्रीय-सचल दल दी0द0उ0गो0वि0वि0 गोरखपुर।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के प्रेषित पत्र संख्या 197/सत्तर-1-2017-16(37)/2012 दिनांक 31 मार्च, 2017 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा में अनुचित साधनों के निवारण किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 सन-1998) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त शासनादेश एवं अधिनियम की प्रति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugorakhpuruniversity.in पर उपलब्ध है, (जिसकी प्रति समस्त महाविद्यालय को भी प्रेषित की जा रही है) का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(संलग्नक- उपरोक्त शासनादेश एवं अधिनियम की छायाप्रति।)

भवदीय

02/04/17
परीक्षा नियंत्रक